उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

मुटेशन रिविजन नं0–43/2021–22

कवन कापरी

बनाम्

मु0 समीम खान वगैरह

–: आदेश :–

दिनांक 14/4/23

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं एवं विद्वान सरकारी वकील को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान रिविजन वाद की प्रकिया रिविजनकर्त्ता कवन कापरी, पे0–मुसहरी कापरी, सा0–बिसाहा, अंचल–पथरगामा, जिला–गोड्डा के रिविजन आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। रिविजनकर्त्ता ने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के न्यायालय के मुटेशन अपील वाद सं0–01/2019–20 के आदेश दिनांक–22.10.2021 के विरूद्ध रिविजन वाद दायर किया है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा ने मुटेशन अपील वाद सं0–01/2019–20 के आदेश दिनांक–22.10.2021 के द्वारा अंचल अधिकारी, पथरगामा के नामांतरण वाद सं0–32/73–74 में दिनांक–18.10.1973 के पारित आदेश को रद्द किया है।

रिविजनकर्त्ता के विद्वान का कथन है कि वर्तमान रिविजन वाद मौजा–विशाहा के जमाबंदी सं0–14, दाग नं0–03, रकवा 01–16–00 धुर, जमाबंदी सं0–23, दाग नं0–16, रकवा 01–00–00 धुर, जमाबंदी सं0–71, दाग नं0–1765 रकवा 00–07–00 धुर, दाग नं0–1766 रकवा 00–04–03 धुर, जमाबंदी सं0–112, दाग नं0–1372 रकवा 00–08–00 धुर, जमाबंदी सं0–121, दाग नं0–1724 रकवा 00–02–10 धुर, जमाबंदी सं0–63, दाग नं0–366 रकवा 00–12–00 धुर कुल रकवा 04–09–14 धुर जमीन से संबंधित है। उक्त जमीन अंचल अधिकारी, पथरगामा के द्वारा मुटेशन केश नं0–32/73–74 के द्वारा मुसहरी कापरी के नाम से नामांतरण किया गया है एवं अलग जमाबंदी कायम कर जमाबंदी सं0–63/1, 14/1, 23/1, 71/1, 112/1, 121/1 के रूप में दर्ज किया गया है। उक्त जमीन बिहार भूदान यज्ञ समिति के द्वारा बिहार भूदान यज्ञ समिति के प्रमाण पत्र सं0–7406 दिनांक–16.10.1955 के द्वारा चमन कापरी को दान में दिया गया था। चमन कापरी को एक पुत्र मुसहरी कापरी हुए, जिनके नाम से उक्त जमीन का नामांतरण हुआ है। मुसहरी कापरी अपने पीछे एक मात्र पुत्र रिविजनकर्त्ता

कवन कापरी को छोड़कर फौत कर गये। अपने पिता की मृत्यु के बाद रिविजनकर्त्ता को उक्त जमीन उत्तराधिकारी के आधार पर प्राप्त हुआ है एवं वे उसपर दखलकार हुए तथा सरकार को मालगुजारी का भुगतान कर मालगुजारी रसीद प्राप्त करते आ रहे है। उनका आगे कथन है कि उत्तरवादी मु0 शमीम खान ने अंचल अधिकारी, पथरगामा के आदेश दिनांक–18.10.73 के विरूद्ध 45 वर्ष 07 माह एवं 24 दिन के विलम्ब से भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के न्यायालय में रिविजन वाद दायर किया। रिविजनकर्त्ता, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के न्यायालय में उपस्थित हुए एवं अपना कारण–पृच्छा दाखिल किया, जिसमें उल्लेख किया कि उक्त जमीन उनके दादा चमन कापरी को बिहार भूदान यज्ञ समिति के दान पत्र सं0–7406 दिनांक–16.10.1955 के आधार पर प्राप्त हुआ है एवं चमन कापरी अपने जीवनकाल तक उक्त जमीन पर दखलकार रहे हैं तथा वर्तमान समय में उक्त जमीन पर रिविजनकर्त्ता दखलकार है। उनका आगे कथन है कि रिविजनकर्त्ता एवं उसके पूर्वज का उक्त जमीन पर दखल भूदान दान पत्र सं0–7406 दिनांक–16.10.1955 के आधार पर है एवं बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम 1954 की धारा 14 के तहत उक्त जमीन पर उन्हें हक प्राप्त हो गया तथा उक्त अधिनियम की धारा 14A के तहत उन्हें बेदखल नहीं किया जा सकता है और चूँकि उक्त जमीन का रिविजनकर्त्ता के पिता मुसहरी कापरी के नाम से नामांतरण भी हो गया है। ऐसी स्थिति में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के द्वारा मुटेशन अधिनियम के तहत उपरोक्त पहलुओं पर विचार करना चाहिए था। लेकिन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा ने उपरोक्त पहलुओं पर विचार किये बिना ही आदेश पारित किया है। इसलिए भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के पारित आदेश को निरस्त करते हुए रिविजनकर्त्ता के रिविजन आवेदन स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–विशाहा नं0–255, जमाबंदी सं0–23 दाग नं0–16 रकवा 01–00–00 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में गुलाम पीर खान, पे0–बासु खान वो बहादुर खान वो इमदाद खाँ, पे0–गनौरी खान के नाम से दर्ज है। उनका आगे कथन है कि उत्तरवादी मुस्लिम समुदाय के सदस्य है एवं मुस्लिम विधि से शासित होने के कारण पिता के जीवित रहते उनके पुत्र को पैतृक सम्पति पर

कोई हक नहीं होता है। यहाँ उल्लेख करना आवश्यक है कि रिविजनकर्त्ता के द्वारा भूदान से दिनांक–18.09.1954 को सुलेमान खान से उक्त जमीन प्राप्त करने का दावा किया गया है। लेकिन भूदान में दिखाये गये समय और तारीख में सुलेमान खाँ के पिता इमदाद खाँ जीवित थे। चूँकि जमाबंदी रैयत इमदाद खाँ सरकारी सेवक थे एवं दुमका कोषागार से पी0पी0ओ0 नं0 –17690 के द्वारा दिनांक–09.08.1956 तक पेंशन प्राप्त किये है, जो साक्ष्य के रूप में कागजात भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के न्यायालय में दाखिल किया है। इससे स्पष्ट है कि जमाबंदी रैयत इमदाद खाँ जीवित थे और पिता के जीवित रहते पुत्र सुलेमान खाँ को भूदान में जमीन दान देने का हक नहीं था। साथ ही दाग नं0–16 से भूदान यज्ञ समिति, देवघर को सुलेमान खाँ के द्वारा मात्र 00–04–00 धुर जमीन दिया गया था। लेकिन रिविजनकर्त्ता के द्वारा उक्त दाग नं0–16 के अन्तर्गत रकवा 01–00–00 धुर जमीन का नामांतरण कराया गया है। इस प्रकार जाली कागजात के आधार पर उक्त जमीन का नामांतरण किया गया था। इसलिए भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के द्वारा उक्त नामांतरण आदेश को निरस्त किया गया है। अतएव भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा का पारित आदेश नियम संगत है। उन्होंने भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए रिविजनकर्त्ता के रिविजन आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

विज्ञ सरकारी वकील का कथन है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा का पारित आदेश नियम संगत है। इसलिए रिविजनकर्त्ता का रिविजन आवेदन खारिज किया जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अंचल अधिकारी, पथरगामा के द्वारा दाखिल खारिज मुकदमा नं0–32/73–74 के आदेश दिनांक–18.10.1973 के द्वारा मौजा–विशाहा जमाबंदी सं0–71, दाग नं0–1765, 66 रकवा 00–15–00 धुर, जमाबंदी सं0–121, दाग नं0–1724 रकवा 00–02–10 धुर, जमाबंदी सं0–5, दाग नं0–1332 रकवा 00–08–00 धुर, जमाबंदी सं0–63, दाग नं0–366 रकवा 00–12–00 धुर, जमाबंदी सं0–23, दाग नं0–16, रकवा 01–00–00 धुर एवं जमाबंदी सं0–68 दाग नं0–3 रकवा 01–16–00 धुर कुल रकवा 04–13–10 धुर जमीन का भूदान यज्ञ समिति का भूमि वितरण प्रमाण पत्र सं0–7406 के आधार पर मुसहरी कापरी के नाम से नामांतरण स्वीकृत किया

गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त जमीन का नामांतरण का आधार भूदान यज्ञ समिति, देवघर का भूमि वितरण प्रमाण पत्र सं0–7406 है। हालांकि मौजावार दान पत्र सूची में श्री सुलेमान खाँ, ग्राम–विशाहा, पो0–कोरका के द्वारा दाग नं0–16 के अन्तर्गत रकवा 00–04–00 धुर जमीन दान किया गया है। लेकिन भूदान यज्ञ कमिटि के प्रमाण पत्र सं0–7406 में दाग नं0–16 के अंदर रकवा 01–00–00 धुर जमीन दिखाया गया है। चूँकि अंचल अधिकारी, पथरगामा के द्वारा दाग नं0–16 के अंदर रकवा 00–04–00 धुर जमीन के स्थान पर रकवा 01–00–00 धुर जमीन का नामांतरण किया गया है। इस प्रकार अंचल अधिकारी, पथरगामा का नामांतरण आदेश त्रुटिपूर्ण होने के कारण भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के द्वारा नामांतरण आदेश निरस्त किया गया। ऐसी स्थिति में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के मुटेशन अपील नं0–01/2019–20 के आदेश दिनांक–22.10.2021 नियम संगत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के मुटेशन अपील नं0–01/2019–20 में दिनांक–22.10.2021 के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए रिविजनकर्त्ता के रिविजन आवेदन खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा। 04/23

उपायुक्त,
गोड्डा। 04/23

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2023.09.05 12:18:29 +05:30
Location: 172.21.32.1